फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द
– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 39/2018**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 21.02.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ के द्वारा जरिये पत्रांकः–सू.अ./रीडर/2019/187 दिनांक 22.01.2019 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। अपीलार्थी के द्वारा आर.टी.आई. आवेदन पत्र दिनांक 04.08.2018 से सूचना के अधिकार में आवेदन कर बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 की सूचना चाही गई। जिसके क्रम में उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ द्वारा विस्तृत रिपोर्ट भिजवाकर चाही गई उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट है की उपखंड अधिकारी देवगढ़ द्वारा इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक/सम/1220–21 दिनांक 14.09.2018 से चाही गई रिपोर्ट के साथ ही पत्रांक प12/17( )राजस्व/वि.प्रा.प./18/4917 दिनांक 11.10. 2018 से चाही गई जांच रिपोर्ट के साथ ही इस अपीलीय प्रकरण का संदर्भ देते हुए सयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की है, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी उसके डाक के पते पर प्रष्ठांकित कर निशुल्क सूचना हेतु प्रेषित की है। जबकि उक्त मामले में अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 4 तक की सूचना अपने कार्यालय के अभिलेख पर जो सूचना उपलबध है वह बिन्दुवार उपलब्ध करवाई जानी थी। इस प्रकार आवेदन पत्र के अनुरूप सूचना दिया जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है। अतः भिजवाई गई रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ को निर्देशित किया जाता है की अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 04.08.2018 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 में वर्णित सूचनाओं के संबंध में आपके कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कि धारा 2 एच के अनुरूप स्पष्ट व सटीक	

न्यायालय जिला कलक्टर

	सूचना अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड भिजवाते हुए पालना रिपोर्ट भिजवावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ व अपीलार्थी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)